अति–आवश्यक
ई–मेल द्वारा

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन नम्बर 0141–2973804, 2988946 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं/काउन्सलिंग/2019/2834 **दिनांकः–** 27/11/19

सार्वजनिक सूचना

विषयः– द्वितीय वर्ष की प्रशिक्षण फीस के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के द्वारा सत्र 2017–18 के अभ्यर्थियों की प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षाओं का परिणाम जारी किया जा चुका है, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा अवगत करवाया गया है कि संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रथम वर्ष की प्रशिक्षण फीस जमा करवाने के पश्चात् भी संबंधित अभ्यर्थियों से प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण नहीं होने पर भी अग्रिम द्वितीय वर्ष की प्रशिक्षण फीस मांगी जा रही है, जो कि पूर्णतः नियम विरूद्ध है।

समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी जिसने प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, फिर भी अभ्यर्थी से आगामी वर्ष की प्रशिक्षण फीस प्राप्त करने हेतु बाध्य किया जाता है, जो मान्यता की शर्तों का उल्लंघन है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय वर्ष का शुल्क जमा करवाये जाने हेतु बाध्य नहीं किया जावें।

उक्त आदेशों की तत्परता/कठोरता से पालना की जानी सुनिश्चित करें।

27/11/19
(सोमदत्त दीक्षित)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार
दिनांकः– 27/11/19

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं/काउन्सलिंग/2019/2835
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,राजस्थान, जयपुर।
2. उप–शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
3. अध्यक्ष एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
5. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
6. मान्यता शाखा, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
7. प्रधानाचार्य, सम्बद्ध समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय/संस्थानों को पालनार्थ।
8. समस्त पैरामेडिकल प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि किसी भी महाविद्यालय द्वारा उक्त प्रकरण में अग्रिम राशि प्राप्त करने हेतु बाधित किया जाता है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की ई–मेल आई.डी. rpmc.helpdesk@gmail.com पर सूचित करें, जिससे संबंधित महाविद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकें।
9. रक्षित पत्रावली।

27/11/19
रजिस्ट्रार